विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L00-31/15</u>

मेसर्स भारती इन्फ्राटेल लि., — आवेदक
चौथी मंजिल, मेट्रो टावर, विजय नगर चौराहा,
आगरा–बाम्बे रोड,
इंदौर–452001 (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा–संधा), संभाग — अनावेदक
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
जिला– झाबुआ (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 28.04.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0297515 मेसर्स भारती इन्फ्राटेल लि. इंदौर विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (संचा–संधा) संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. झाबुआ में पारित आदेश दिनांक 14.05.2015 के विरूद्ध आवेदक की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–31/15 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 5.2.2016 को सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश दिनांक से 5 माह के पश्चात आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के कारण अभ्यावेदन समय बाधित होने की आपत्ति ली गई।

04 आवेदक द्वारा इस संबंध में दस्तावेज (ओई–1) प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उन्हें फोरम का आदेश डाक से प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा फोरम से अनुरोध किया था जो कि दिनांक 21.10.2015 को फोरम कार्यालय में दर्ज है। तदनुसार उन्हें दिनांक 31.10.2015 को आदेश की प्रति व्यक्तिगत रूप से दी गई जिसके उपरांत आवेदक द्वारा दिनांक 31.12.2015 को लोकपाल कार्यालय में आवेदन पत्र दिया जो 60 दिन की समय–सीमा में प्रस्तुत किया गया। अतः अभ्यावेदन को मान्य करते हुए सुनवाई प्रारंभ की गई।

05 प्रकरण में दिनांक 5.2.2016 को सुनवाई के दौरान आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया कि उनके 38 मोबाईल टावर में स्थापित विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध वर्ष 2008 से 2013 तक की अवधि में केपेसिटर सरचार्ज की वसूली की गई। अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा इस संबंध में बताया गया कि उक्त अवधि की आडिट मेसर्स संधवी मालवीय एण्ड कंपनी, चार्टड आकाउन्टेंट, इंदौर द्वारा की

गई थी तथा इस अवधि में केपेसिटर सरचार्ज की वसूली मासिक विद्युत देयकों के साथ नहीं करने के कारण रिकवरी निकाली गई। मेसर्स भारती इन्फ्राटेल लि. झाबुआ के मोबाईल टावरों के 38 विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध निकाली की गई वसूली उचित है एवं वसूली करने योग्य है।(ओई–2)

06 अनावेदक द्वारा दिनांक 8.3.2016 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (ओई–2) जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि आवेदक के 38 मोबाईल टावरों के विद्युत कनेक्शन में संयोजित भार का निरीक्षण करते समय 27 टावरों में केपेसिटर लगे नहीं पाये गये एवं 11 विद्युत कनेक्शन में केपेसिटर चालू हालात में पाये गये।

07 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा यह केपेसिटर आडिट रिकवरी के पश्चात स्थापित किये गये हैं न कि आडिट की अवधि वर्ष 2008–09 से 2012–13 के बीच कोई भी केपेसिटर लगाया गया था। क्योंकि विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 6.14 एवं 6.15 के प्रावधान के अनुसार वे एलटी शंट केपेसिटर लगाना अनिवार्य नहीं था। परन्तु अनावेदक द्वारा उपरोक्त प्रावधान के विपरीत जाकर उनके विरूद्ध केपेसिटर सरचार्ज की रिकवरी निकाली गई जो न्यायसंगत न होकर त्रुटिपूर्ण है। अतः निरस्त की जावे।

08 आवेदक द्वारा इस संबंध में अनुरोध किया गया कि विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 6.14, 6.15 एवं 6.16 की पुष्टि हेतु उनके विद्युत स्थापनाओं का संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन किया जाए जिससे उनके परिसर में स्थापित उपकरणों एवं उनके संयोजित भार के संबंध में जानकारी हो सके। आवेदक के अनुरोध को मानते हुए दिनांक 8.3.2016 को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 4.20 के प्रावधान अनुसार निम्न जानकारी प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को निर्देशित किया गया –

अ. आवेदक के विद्युत कनेक्शनों की वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 तक की आडिट रिपोर्ट की कॉपी।

ब आडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये कनेक्शनों की वर्ष वार मीटर रीडिंग डायरी।

स उपरोक्त कनेक्शनों में ऐवरेज पावर फैक्टर रिकार्डिंग मीटर कब लगाये गये।

द पिछले 4 माह के विद्युत बिलों की कॉपी। (नवंबर 2015 से मार्च 2016)

इ पूर्व में दिये गये निर्देश अनुसार कनेक्शनों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट।

09 दिनांक 7.4.2016 को अनावेदक द्वारा मुख्यतः वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 तक की अवधि की आडिट रिपोर्ट प्रतिवेदन एवं मेसर्स भारती इन्फ्राटेल लि. झाबुआ के 38 विद्युत कनेक्शनों जिसके विरूद्ध केपेसिटर सरचार्ज की वसूली निकाली गई के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

10 प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्क के आधार पर एवं प्रकरण की विवेचना करने पर पाया गया है कि–

(i) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (ओई–3) से स्पष्ट है कि उनके 38 मोबाईल टावर के विद्युत कनेक्शन जिनके विद्युत रिकवरी निकाली गई है का स्वीकृत भार 30 किलोवाट से अधिक नहीं है।

(ii) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (ओई–2) में इस बात की पुष्टि होती है कि आवेदक के उपरोक्त विद्युत कनेक्शनों में 30 किलोवाट से अधिक संयोजित भार नहीं है एवं न ही परिसर में कोई भी इण्डक्शन मोटर जिसका कि भार 3 एच.पी. है, लगी पायी गई।

(iii) आडिट पार्टी द्वारा अपनी रिपोर्ट में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के परिपत्र क्रमांक 05/जीए/155/11761–910 दिनांक 21.8.1079 का हवाला देते हुए निर्धारित क्षमता के एलटी शंट केपेसिटर नहीं लगे होने के कारण रिकवरी निकालना बताया है। जबकि वर्ष 2004 में विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2004 लागू की जा चुकी थी। अतः उसमें इस बावत दिये गये प्रावधान के अनुसार ही आडिट पार्टी द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

(iv) उपरोक्त तर्कों की पुष्टि हेतु विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 6.15 एवं 6.16 का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है–

6.15 सिंचाई पम्प सेट वाले उपभोक्ता सहित ऐसा प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता, जिसके संयोजित भार में 3 बी.एच.पी. अथवा अधिक की क्षमता वाली इन्डक्शन मोटर सम्मिलित है, स्वयं के व्यय पर निम्न दाब वाले शंट केपेसिटर को अपनी मोटर के टर्मिनलों के बीच नीचे दी ई सूचना के अनुसार लगाने की व्यवस्था करेगा। निम्नलिखित तालिका विभिन्न क्षमता की मोटरों पर लगाए जाने वाले कैपेसिटरों की क्षमता दर्शाती है, जो कि केवल मार्गदर्शन हेतु है। उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना हो कि उसके परिसर में स्थापित मोटर तक लगाया हुआ कौंपेसिटर उक्त तमोटर की वास्तविक क्षमता के अनुरूप हो, ताकि पावर फैक्टर 80 प्रतिशत या उससे अधिक सुनिश्चित हो सके।

क्रमांक	*इन्डक्शन मतोटर की क्षमता (रेटि।ग)*	*निम्नदाब कैपेसिटर की के.व्ही. ए.आर. क्षमता (रेटिंग)*
1	*3 बी.एच.पी. से ज्यादा तथा 5 बी.एच.पी. तक*	*1*
2	*5 बी.एच.पी. से ज्यादा तथा 7.5 बी.एच.पी. तक*	*2*
3	*7.5 बी.एच.पी. से ज्यादा तथा 10 बी.एच.पी. तक*	*3*
4	*10 बी.एच.पी. से ज्यादा तथा 15 बी.एच.पी. तक*	*4*
5	*15 बी.एच.पी. से ज्यादा तथा 20 बी.एच.पी. तक*	*5*
6	*20 बी.एच.पी. से ज्यादा तथा 30 बी.एच.पी. तक*	*6*
7	*30 बी.एच.पी. से ज्यादा तथा 40 बी.एच.पी. तक*	*7*
8	*40 बी.एच.पी. से ज्यादा तथा 50 बी.एच.पी. तक*	*8*
9	*50 बी.एच.पी. से ज्यादा तथा 100 बी.एच.पी. तक*	*9*

ऐसे संयोजनों जहॉ 3 बी.एच.पी. या उससे अधिक की इन्डक्शन मोटर लगी है, को विद्युत आपूर्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उनमें पावर फैक्टर में सुधार लाने हेतु उचित क्षमता के कैपेसिटर नहीं लगे हों।

6.16 बिन्दु क्रमांक 6.15 में वर्णित उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे सभी निम्नदाब उपभोक्ता, जिनका भार 50 किलोवाट या अधिक है, समुचित क्षमता का कैपेसिटर लगाएंगे, ताकि पावर फैक्टर 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो। कम पावर फैक्टर होने की दशा में ऐसे उपभोक्ता आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए गए अधिभार का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे।

उक्त से स्पष्ट है कि ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता जिनके परिसर का संयोजित भार में 3 बी.एच.पी. की क्षमता की इन्डक्शन मोटर स्थापित है तो उन्हें ऊपर दर्शायी तालिका के अनुसार शंट कैपेसिटर लगाया जाना आवश्यक था ताकि पावर फैक्टर 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जा सके तथा उपरोक्त के अलावा ऐसे सभी निम्नदाब उपभोक्ता जिनका कि संयोजित भार 50 किलोवाट या उससे अधिक है उन्हें समुचित क्षमता के एलटी शंट कैपेसिटर लगाना आवश्यक है। जबकि परिसर में कोई भी इन्डक्शन लोड हो अथवा नहीं हो। इसके अलावा यदि ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता जिनके यहॉ 3 बी.एच.पी. से अधिक क्षमता की इण्डक्शन मोटर स्थापित है वे पावर फैक्टर सुधार हेतु उपभोक्ता द्वारा पर्याप्त क्षमता के कैपेसिटर नहीं लगाए जाते तो अनुज्ञप्तिधारी उन्हें विद्युत कनेक्शन जारी नही करेगा।

11 उपरोक्त प्रकरण में भौतिक सत्यापन करने पर यह पाया गया कि मेसर्स भरती इन्फ्राटेल लि. झाबुआ संभाग के अंतर्गत लगे मोबाईल टावर के 38 विद्युत कनेक्शन जिनके विरूद्ध आडिट पार्टी द्वारा पावर फैक्टर सरचार्ज की रिकवरी निकाली गई है, में 3 बी.एच.पी. या उससे अधिक क्षमता की मोटर लगी हुई नहीं पायी गई और न ही कंडिका 6.16 के अनुसार परिसर का संयोजित भार 50 किलोवाट या अधिक नहीं था। अतः आवेदक द्वारा एलटी शंट कैपेसिटर नहीं लगाये गये। यदि आवेदक के परिसर में 3 एच.पी. या उससे अधिक का इंडक्शन भार पाया जाता तो अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा उन्हें विद्युत कनेक्शन विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 6.15 के प्रावधान के तहत नहीं दिया जाता। परन्तु आवेदक द्वारा उन्हें विद्युत कनेक्शन जारी किये गये । इससे स्पष्ट है कि उनके परिसर के संयोजित भार में कोई भी इंडक्शन लोड 3 एच.पी. से अधिक विद्युत कनेक्शन देते समय नहीं था।

12 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की अवधि की उपरोक्त कनेक्शनों की मीटर डायरी के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि परिसर में लगे मीटर में पावर फैक्टर दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तथा मीटर रीडर द्वारा भी एलटी कैपेसिटर लगा अथवा नहीं लगा होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अतः आडिट पार्टी द्वारा किस आधार पर कैपेसिटर सरचार्ज की बिलिंग की गई स्पष्ट नहीं है। सिर्फ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के परिपत्र का उल्लेख करते हुए रिकवरी निकाली गई जो कि विद्युत प्रदाय संहिता 2004 लागू होने से स्वतः ही निरसित हो जाता है।

13 अनावेदक द्वारा फोरम को पावर फैक्टर अंकित करने वाले मीटर लगाने के पश्चात आवेदक को दिये गये विद्युत देयकों की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार आवेदक के विद्युत कनेक्शनों में पावर फैक्टर 80 प्रतिशत से अधिक दर्ज हुआ है। अनावेदक द्वारा फोरम में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 जो कि 30 अगस्त 2013 से प्रभावशील हुआ था प्रस्तुत किया जिसमें कि कंडिका 6.16 में निम्नानुसार नया प्रावधान शामिल किया गया एवं पूर्व में दिये गये प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया वह यथावत है।

6.16 कोई निम्नदाब उपभोक्ता जिसके संबंध में स्थापित किये गये मापयन्त्र (मीटर) मे ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य (फीचर) विद्यमान नहीं है तथा जो पूर्व में निर्दिष्टानुसार निम्नदाब संधारित्र (कैपेसीटर) स्थापित नहीं करता है अथवा इन संधारित्रों (कैपेसीटरों) को चालू स्थिति में संधारित नहीं करता है, उसे एक अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि इसे समय–समय पर जारी विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में निर्दिष्ट किया जाए । कोई निम्नदाब उपभोक्ता, जिसके प्रकरण मे, स्थापित किये गये मापयंत्र (मीटर) में ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य विद्यमान है, परन्तु समुचित संधारित्रों (कैपेसीटरों) के स्थापित किये जाने पर भी मापयन्त्र में किये गये अभिलेख अनुसार विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) संधारित

नहीं करता है उसे एक अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि मापयन्त्र (मीटर) द्वारा अभिलिखित किया गया हो तथा जैसा कि इसे समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट किया जाए।

14 अनावेदक का पत्र (ओई–4) जो कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इंदौर को दिया गया है उसके अनुसार आवेदक के समस्त 78 मोबाईल टावरों के विद्युत कनेक्शनों में ऐसे मीटर लगा दिये गये हैं जिसमें कि पावर फैक्टर अंकित करने के फीचर शामिल हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत विद्युत देयकों से स्पष्ट है कि आवेदक के विवदित 38 विद्युत कनेक्शनों पर औसत पावर फैक्टर 80 प्रतिशत से अधिक मैन्टेंन किये जा रहे हैं, परन्तु विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.16 के प्रावधान इन सभी कनेक्शनों पर संहिता लागू होने की तिथि से ही लागू होगा। अर्थात वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 तक की अवधि के लिए इन प्रावधानों के तहत कैपेसिटर सरचार्ज की बिलिंग नहीं की जा सकती।

अतः उपरोक्त दस्तावेज एवं तर्कों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

अ आडिट पार्टी द्वारा पावर फैक्टर सरचार्ज की रिकवरी निकालने के पूर्व विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधानों का अवलोकन नहीं करते हुए विद्युत मण्डल द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार रिकवरी निकाली गई जबकि विद्युत प्रदाय संहिता 2004 लागू होने के पश्चात उसके प्रावधानों के अंतर्गत ही शंट कैपेसिटर नहीं लगाये जाने पर कैपेसिटर सरचार्ज की वसूली निकाली जानी थी।

ब आवेदक के 38 मोबाईल टावर के विद्युत कनेक्शनों में कहीं पर भी 3 एच.पी. या उससे अधिक क्षमता की इण्डक्शन मोटर लगी हुई नहीं पायी गई और न ही परिसर का संयोजित भार 50 किलोवाट या उससे अधिक पाया गया। अतः विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 6.15 एवं 6.16 के प्रावधान के अनुसार आवेदक को शंट कैपेसिटर लगाना आवश्यक नहीं था। अतः इन विद्युत कनेक्शनों के विरूद्ध निकाली गई रिकवरी निरस्त करने योग्य है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

(i) आवेदक के मोबाईल टावर के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की अवधि के लिए निकाली गई कैपेसिटर सरचार्ज की वसूली निरस्त की जाए।

(ii) आवेदक द्वारा कैपेसिटर सरचार्ज के विरूद्ध जमा की गई राशि का समायोजन उनके आगामी विद्युत देयकों में किया जाए।

15 फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

16 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल